

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद झाँसी

पत्रांक: /प्री-प्राइमरी/ 6249-56 /2024-25

दिनांक- 23/09/2024

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,
जनपद-झाँसी।

विषय:- वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत, सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 67 को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों हेतु लर्निंग कॉर्नर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना निदेशक सामग्र शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक संख्या:- प्री-प्राइमरी/5478/2024-25 दिनांक 11.09.2024 के द्वारा आप अवगत है, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक हेतु विस्तृत दिशा निर्देश देते हुये मूलभूत साक्षरता के स्तरमा के रूप में से पूर्व प्राथमिक शिक्षा को विहित किया गया है। राज्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किये जाने का प्राविधान है। बेसिक शिक्षा विभाग एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के आपसी समन्वय से लगातार पूर्व प्राथमिक शिक्षा को वास्तविक हितधारक 3 से 6 वर्ष के बच्चों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र जो कि विद्यालय परिसर में है एवं को-लोकेटेड के रूप में विहित है, हेतु लर्निंग कॉर्नर विकसित किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। उक्ता के सापेक्ष प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जनपद के कुल 67 को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु प्राप्त वित्तीय प्राविधान के अंतर्गत लर्निंग कॉर्नर (बच्चों हेतु) दिया जाना है। उक्ता हेतु निम्नांकित निर्देशों के क्रम में क्रियान्वयन किया जाये-

4 लर्निंग कॉर्नर (Four Learning Corner) :-

बच्चों को सीखने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण प्रविधि अपनाते हुए 4 लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग करते हुए उनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित आयुवर्ग में सामाजिक एवं संवेदात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास एवं सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास में सहायक है। उक्त को ध्यान में रखते हुए, राज्य स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अनुगवी सदस्यों के माध्यम से राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 के सहयोग से निम्नांकित सामग्री को लर्निंग कॉर्नर विकास में प्रयोग किये जाने की संस्तुति की गयी। तदनुसार लर्निंग कॉर्नर हेतु निम्नवत् सामग्री का क्रय करते हुए 4 लर्निंग कॉर्नर की स्थापना की जाये-

Learning Area of Play Owner Deveopement		
Corners	Materials	Quantity
	Foam Mats with Varnmala (8.5x8.5 CM) Total 16sqft	4
	Open Recks with 3 shelves (30x24inchx12inch)	1
Reading Corner	Variety of age-appropriate books, including picture books, storybooks	Send by SPO
	Simple cushions	4
	Hand- made Interactive Bookmarks	Made By AWW and Nodal
	Slate	6

	Posters or charts related to literacy Or reading themes	As per Availability
Art Corner	Child-saf scissor	4
	Glue Sticks	4
	Hand-made Papers in A5	10 Sheets
	Glance Paper	10
	Sponges	6
	Plastic Moulds of different types like fruits, vegetables, animals with clay	1 set
	Ice-cream stick	2
	Earbuds (Use for KALANKUR craft book)	1 Big Pack
	Tooth Brush	4
	Hand Towels	12
	Art Sheets	1 Bundle
	Plants Pots in Plastic of 8 inch	6
Block Corner	Construction-themed toys such as toy hammers, wrenches, and screwdrivers	1 Set
	Picture Puzzles	2 Set
	Colored Wooden Block (Corners rounded) of 2x2, 2x3	1 Set
	Blocks (Alphabet, Hindi ,Varabmala and Number) each 1 set	3 Set
	Clipboards (Minimum 8)	8
	Costumes or dress-up clothes for role-playing and imaginative play (Like Animal dress etc)	1
	Hand Made puppet, Stick Puppet, Finger Puppet etc. Made by AWW and Nodal Teacher if not available in the market	1
	Musical instruments like Dafli	1
	Stage progs such as hats. Scarves. Or masks	1 each
	Kitchen Set	2

PS

✓

Performance Corner	Doctor Set	2
	Dolls	2
	Food Set	1
	Vegetable Set	1
	Fruit Set	1
	Mirror-Small (Frame)	1
	Comb	4
	Old Spectacles	1
	Telephone	1
	Small Curtains	1 Set

नोट:- उपरोक्त सामग्री का संख्यात्मक विवरण न्यूनतम है बजट की उपलब्धता के आधार पर इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। लर्निंग कॉर्नर आंगनबाड़ी में तैयार करने हेतु उदाहरणार्थ चित्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

वित्तीय प्राविधान:-

- 67 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्र युक्त विद्यालयों (संलग्नक-1) के विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में ₹0 8110/- प्रति विद्यालय की दर से हस्तारित/लिमिट जारी करने हेतु कुल ₹0 543370 लाख की लिमिट जनपदवार संलग्नक-2 के अनुसार जारी की जा रही है।
- विद्यालय स्तर पर उक्त सामग्री के क्रय हेतु निम्नांकित क्रय समिति सम्पादित करेगी-
 - अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति — अध्यक्ष।
 - विद्यालय प्रधानाध्यापक/इंचार्ज अध्यापक — सदस्य सचिव।
 - सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री — सदस्य।
 - सम्बन्धित क्षेत्र की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर — सदस्य।
 - नोडल अध्यापक प्री-प्राइमरी सम्बन्धित विद्यालय- सदस्य।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग फाइनेन्शियल मैनेजमेंट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट 2018 के प्राविधानों के अंतर्गत किया जाये तथा सम्बन्धित व्यय पी0एम0एस0 पोर्टल (प्रबन्ध) पर पूर्व प्राथमिक स्तर (Recurring-PrePrimary Existing) के अंतर्गत माह जुलाई/अगस्त 2024 के व्यय में अंकित किया जाये।

प्रधानाध्यापक के दायित्व:-

- क्रय की गयी लर्निंग कॉर्नर सम्बन्धित सामग्री का विवरण स्टॉक रजिस्टर में अंकित करते हुए सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उपलब्ध कराया जाये।
- लर्निंग कॉर्नर तैयार करने हेतु प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में नोडल अध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आपसी समन्वय से कार्य पूर्ण करेंगी।
- आंगनबाड़ी केन्द्र जिस कक्षा-कक्ष में संचालित हो रहा है, उसकी पुताई एवं लघु मरम्मत का कार्य अनिवार्यतः कराते हुए ही लर्निंग कॉर्नर की स्थापना की जाये। उक्त हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी केन्द्रों के कार्याकल्प सम्बन्धी शासनादेश संलग्न किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक, सीडीपीओ के माध्यम से मरम्मत सम्बन्धी कार्य हेतु पंचायत स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे।

Pr

✓

यदि आंगनवाडी केन्द्र विद्यालय के अतिरिक्त कक्षा-कक्षा में संचालित है, इस स्थिति में विद्यालय के कम्पोजिट ग्राण्ट से पुताई का कार्य पूर्ण कराया जाये।

नोडल एस0आर0जी0/डायट मेंटर के दायित्व:-

- मासिक समीक्षा बैठक में नोडल एस0आर0जी0 के माध्यम से लर्निंग कार्नर स्थापना सम्बन्धी जनपदीय प्रगति की समीक्षा की जाये।
- डायट मेंटर के माध्यम से को-लोकेटेड आंगनवाडी केन्द्रों में आवश्यक अकादमिक सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा।

नोडल शिक्षक संकुल के दायित्व:-

- नोडल शिक्षक संकुल मासिक समीक्षा बैठक में लर्निंग कार्नर के उपयोग से सम्बन्धित समीक्षा बिन्दु अनिवार्यतः रखेंगे एवं प्रधानाध्यापक तथा नोडल शिक्षक को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
- राज्य स्तर पर प्रेषित गूगल फार्म के माध्यम से अपने संकुल के विद्यालयों की सूचना जिनके द्वारा विद्यालय परिसर के आंगनवाडी केन्द्रों में लर्निंग कार्नर विकसित कर दिया गया है, की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

गूगल लिंक:- पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

उक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए उक्त का क्रय एवं क्रियान्वयन, सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:- उक्तवत्।

भवदीय


(विपुल शिव सागर)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी


झाँसी।

पत्रांक: /प्री-प्राइमरी/ 6249-56 / 2024-25

दिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, झाँसी।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), झाँसी मण्डल झाँसी।
5. समस्त एस0आर0जी0/ए0आर0पी0/शिक्षक संकुल को अनुपालनार्थ।
6. संबंधित प्रधानाध्यापक/इंचार्ज प्रधानाध्यापक जनपद झाँसी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त क्वालिटी कोऑर्डिनेटर जनपद झाँसी को अनुपालनार्थ।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
झाँसी।